न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 18/2024
3. उनवान : लालाराम पुत्र श्री किशनलाल कुमावत, निवासी– बड की ढाणी, ग्राम पंचायत काचरोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

–प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत काचरोदा, पंचायत समिति दूदू (वर्तमान पंचायत समिति सांभरलेक), तहसील फुलेरा, जिला जयपुर जरिये सरपंच
2. श्रीमती प्रेम देवी कुमावत पत्नी श्री रामेश्वर लाल कुमावत, निवासी– दयाल नगर, बड की ढाणी, ग्राम पंचायत काचरोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर

–अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 28.08.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री तेजाराम भंवरिया निगरानीकार की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री सीताराम कुमावत गैरनिगरानीकार संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकार का एक कब्जाशुदा स्वामित्व का आबादी भूखण्ड एवं पुख्ता मकान ग्राम पंचायत काचरोदा, पंचायत समिति दूदू (हाल पंचायत सांभरलेक), जिला जयपुर आबादी भूमि स्थित है, जिसका पट्टा संख्या 15 संकल्प संख्या 4 दिनांक 06.12.2004 को 200 वर्गगज के निगरानीकार के हक में दिनांक 06.12.2004 को ग्राम पंचायत काचरोदा पंचायत समिति दूदू, जिला जयपुर के सरपंच द्वारा जारी किया गया था। उक्त भुखण्ड के नक्शे में पश्चिम दिशा की ओर हुकमा राम का प्लॉट व रास्ता 20 फीट चौडा दर्शित किया गया है तथा उक्त खाली पडी भूमि में आम रास्ता जो अन्य पडौसी प्रेम कंवर पत्नी श्री महावीर सिंह के पट्टा संख्या 54 बुक संख्या 37 दिनांक 06.01.2014 में भी उत्तर दिशा में आम रास्ता अंकित है, का गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 से मिलीभगत कर नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से उक्त विवादित पट्टा आम रास्ता भूमि का भी जारी कर दिया, जो आम लोगों व प्रार्थी/निगरानीकर्ता के लिए आने-जाने का उपयोग उपभोग में लिया जाता है तथा उक्त पट्टे के साथ संलग्न नक्शे में कहीं पर भी विपक्षी श्रीमती प्रेम देवी का आबादी भूखण्ड दर्शित नहीं किया गया है, ना ही कोई कब्जा है। गैरनिगरानीकार संख्या 2 द्वारा बदनियति से आम रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण कर हडपने की नियत से उक्त फर्जी पट्टा सन् 2017 मे जारी करवा लिया। जबकि पट्टा के अवलोकन मात्र से यह प्रतीत होता है कि पट्टा यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा फर्जी तैयार किया गया है। बनावटी पट्टे में दर्शित भूमि पर विपक्षी संख्या 2 का ना तो कभी

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर।

कब्जा रहा है और ना ही वर्तमान में कही है। प्रश्नगत पट्टे में वर्णित भूखण्ड पर पट्टा जारी दिनांक से पूर्व व वर्तमान में विपक्षी संख्या 2 का कभी कब्जा नहीं रहा है तथाकथित बनावटी पट्टे एवं पट्टे के साथ संलग्न नक्शे में जमीन के पडौसः दर्शाये गये हैं वह वर्तमान में कहीं अस्तित्व में नहीं है और ना हीं पूर्व में अस्तित्व में रहे हैं एवं तथाकथित बनावटी पट्टे में कहीं पर भी प्रस्ताव संख्या, दिनांक एवं आदेश संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है उक्त कॉलम खाली है जिससे स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नगत पट्टा फर्जी एवं बनावटी है। उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है

अन्त में निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत काचरोदा, पंचायत समिति दूदू (हाल पंचायत समिति सांभरलेकर) जिला जयपुर द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा संख्या 69 बुक संख्या 52 संकल्प संख्या 24 दिनांक 06.03.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानीकार ने निगरानी के संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है कि निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 के मध्य न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक में एक सिविल विवाद लालाराम बनाम प्रेम देवी व अन्य के नाम से विचाराधीन है जिसमें प्रेम देवी ने अपने जवाब में तथा जवाब में उक्त आम रास्ता भूमि का का पट्टा होने का कथन किया है जिस पर निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत काचरोदा में उक्त पट्टा की प्रति व मिसल प्राप्त करने बाबत प्रार्थना पत्र करने पर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने दिनांक 12.09.2024 को उप पंजीयक सांभरलेक जयपुर से उक्त पट्टा की प्रति प्राप्त की गई जो दिनांक 12.09.2024 से अन्दर मियाद है जिसके पश्चात उक्त निगरानी न्यायालय के समक्ष अन्दर मियाद पेश की। अन्त में निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया गया है।

निगरानीकार ने निगरानी के संलग्न निगरानीधीन पट्टे की प्रमाणित प्रति एवं अन्य दस्तावेजात पेश किये हैं।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकारान जारी किये गये। गैर निगरानीकार सं0 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। गैरनिगरानीकार सं0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम कुमावत उपस्थित हुए। गैरनिगरानीकार सं0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम कुमावत उपस्थित हुए। मूल रिकार्ड मंगवाया गया। ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा उनके पत्रांक 99 दिनांक 12.11.2024 में मूल रिकार्ड पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने का अंकन किया है।

गैर निगरानीकार सं0 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रा0 पत्र धारा 5 में अंकित किया गया है कि निगरानी मिथ्या आधारों पर पेश की गई है। वास्तविकता में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष वाद निगरानीकर्ता के द्वारा किस तारीख को पेश किया गया। प्रतिवादी के द्वारा जवाब किस तारीख को पेश किया गया, जानकारी किस तारीख को हुई, का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है जबकि निगरानीकर्ता को पट्टा की जानकारी पूर्व से रही है तथा गैरनिगरानीकर्ता उक्त भूखण्ड पर पूर्व से काबिज है तथा काबिज कब्जे के आधार पर पट्टा सही जारी किया गया है। जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को पूर्व से रही है तथा निगरानीकर्ता ने बाद में अपने पट्टे के सम्बन्ध में

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

वास्तविक तथ्य नहीं रखे तथा तथ्यों को छिपाया है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र निगरानीकर्ता के द्वारा मिथ्या आधारों पर पेश किया गया है जिसमें किस दिनांक से किस दिनांक तक की अवधि को क्षमा करवाना चाहता है, का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। निगरानीकर्ता ने वाद सिविल न्यायालय के समक्ष दिनांक 16/1/2024 को पेश किया गया जिसमें गैरनिगरानीकर्ता अप्रार्थी सं0 2 पक्षकार नहीं है तथा स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रेमदेवी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने को उल्लेखित कर प्रस्तुत किया गया है के अनुसरण में दिनांक 22/1/2024 को प्रेमदेवी की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर दिनांक 23/1/2024 को अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सं0 2/24 उनवानी लालाराम बनाम प्रेमदेवी का जवाब पेश कर दिया था तथा जवाब की प्रति निगरानीकर्ता को दिनांक 23/1/2024 को ही उपलब्ध करवा दी गई थी। उक्त तथ्यों के अनुसरण में दिनांक 23/1/2024 को निगरानीकर्ता को पट्टों की विधिवत जानकारी जवाब से हो चुकी थी तथा निगरानीकर्ता ने दिनांक 23/1/2024 से निर्धारित अवधि में भी निगरानी पेश नहीं की है तथा ना ही कोई स्पष्ट व समुचित कारण प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किये हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टा सं0 52 व 69 दिनांक 6/3/2017 को जारी कर उसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 1/9/2017 को करवाया गया जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को पट्टा जारी किये जाने की दिनांक 6/3/2017 से रही है तथा उक्त तथ्यों को छिपाकर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत की है। जिसमें दिनांक 6/3/2017 से निगरानी प्रस्तुत करने की दिनांक 7/10/2024 की अवधि करीब 7 वर्ष का कोई समुचित स्पष्टीकरण उल्लेख नहीं किया है। निगरानीकर्ता का पट्टा कूटरचित है तथा उक्त पट्टे की नाप व सीमाओ में भिन्नता है। क्योंकि उक्त पट्टे पर जो पत्रावली संस्थित करने का पंजीयन लिखा गया है, वह 23/2004 दिनांक 21/12/2004 को पत्रावली दर्ज किया जाना उल्लेखित किया गया है तथा पट्टा सं0 15 पैन से लिखा गया है जो प्रिंटेड नहीं है। जबकि ग्राम पंचायत के मूल पट्टों में पट्टा संख्या प्रिंटेड होती है। इसी प्रकार उक्त पट्टे में दिनांक 5/12/2004 को काटकर 6/12/2004 लिखी गई है तथा संकल्प सं0 6 के स्थान पर 4 भी काट कर लिखी गई है। उक्त भूखण्ड 21/—रूपये प्रतिवर्गगज की दर से बेचान किया जाना अंकित किया गया है जो 200 वर्गगज का होना बताया है। 21/—रूपये की दर से 200 वर्गगज की कीमत 4200/—रूपये मालियत होती है। इस पट्टे में 4211/—रूपये किस मद में जमा किये गये है का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है तया पट्टे की पुश्त पर पूरब पश्चिम 23 फुट 3 इंच गुणा उत्तर दक्षिण 70 फुट नाप अंकित की गई है जिसके अनुसार कुल 1631 वर्गफुट होती है जो 181.22 वर्गगज भूमि बनती है जिसका कोई उल्लेख पट्टे पर अंकित नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत नियम 1996 की धारा 167 के प्रावधान अनुसार आबादी भूमि का विक्रय विलेख ग्राम पंचायत के द्वारा निलामी प्रक्रिया के द्वारा तय किया जाता है तथा निलामी पूर्ण होने पर पट्टे का प्रदान ग्राम पंचायत के सचिव व सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर के तहत ही जारी किया जा सकता है तथा उसका पंजीयन करवाया जाना आज्ञात्मक है जो पट्टा निगरानीकर्ता ने न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है उस पर केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है तथा सचिव के हस्ताक्षर नहीं है तथा ना ही नक्शा नवीस के हस्ताक्षर है जो नक्शा पट्टे के संलग्न किया गया है उस पर पत्रावली की संख्या व दर्ज नंबर तथा तारीख का कोई उल्लेख नहीं है उक्त नक्शा श्रीमती संजू लवानिया नगरपालिका फुलेरा के द्वारा तैयार किया जाना नक्शे पर उल्लेखित है। उक्त संजू लवानिया के कोई हस्ताक्षर पट्टे पर अंकित नहीं है कि उक्त नक्शा नवीस के द्वारा पंचायत के आदेश से नक्शा बनाया जाकर जारी किया गया है। जो नक्शा पट्टे के साथ पेश किया गया है उसमें उल्लेखित नाप व

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जयपुर

पट्टे की नाप में भिन्नता है। नक्शा 77 फुट गुणा 23 फुट 3 इंच का प्रस्तुत किया गया है पट्टा 70 फुट गुणा 23 फुट 3 इंच का बताया गया है नक्शे में 23 फुट 3 इंच नाप का कोई उल्लेख नही है। उक्त नक्शा पट्टे का भाग नही है तथा पट्टा व नक्शा दोनो फर्जी तैयार कर उसका कूटरचित तरीके से उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार निगरानीकर्ता ने फर्जी पट्टे को आधारित कर जो कि अपजीकृत दस्तावेज है के आधार पर उक्त निगरानी विधिवत जारी पट्टे को निरस्त करवाने हेतु मिथ्या व गलत आधारो पर विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज कर निगरानी को विलम्ब से प्रस्तुत करने के आधार पर खारिज किये जाने की कृपा करे।

निगरानीकार द्वारा उक्त का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि दिनांक 23.01.2024 को गैर निगरानीकर्ता ने अपने जवाब में पट्टा बाबत कथन किया था जिसकी प्रति उपलब्ध नही कराई गई। निगरानीकर्ता ने पट्टा की प्रति प्राप्त करने का बार बार निवेदन किया लेकिन प्रति उपलब्ध नही कराई गई फिर निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत काचरोदा में सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर पट्टा व पत्रावली की नकल प्राप्त करना चाहा तो ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा दिनॉंक 16.08.2024 को सूचना का अधिकार नियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाना अपेक्षित नही है, लिखित पत्र दिया गया। अन्त में ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा निगरानीकर्ता को मौखिक सूचना दिनांक 10.09.2024 को दी गई कि उक्त प्रकरण में वांछित पट्टों का सब रजिस्ट्रार सांभर में पंजीयन है वहॉं से सूचना प्राप्त कर लेवे। इसके बाद दिनॉंक 12.09.2024 को सब–रजिस्ट्रार सांभरलेक से केवल पट्टा की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष अन्दर मियाद दिनॉंक 07.10.2024 को निगरानी पेश की है। अतः गैरनिगरानीकार का जवाब प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया कि ग्राम पंचायत काचरोदा पंचायत समिति दूदू द्वारा गैरनिगरानीकार संख्या 2 के हक में विवादित पट्टा संख्या 69 दिनांक 06.03.2017 आम रास्ता भूमि का जारी कर दिया, जो आम लोगो व निगरानीकर्ता के लिए आने जाने का उपयोग उपभोग में लिया जाता है तथा उक्त पट्टे के साथ संलग्न नक्शे में कही पर भी विपक्षी श्रीमती प्रेम देवी का आबादी भूखण्ड दर्शित नही किया गया है, ना ही कोई कब्जा है। गैरनिगरानीकार संख्या 2 ने आम रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण कर हडपने की नियत से सन् 2017 का फर्जी पट्टा दिखाकर पट्टे में दर्शायी गयी भूमि को जबरन प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि मे से हडपना चाहती है, जबकि पट्टा के अवलोकन से प्रतीत होता है कि पट्टा यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा फर्जी तैयार किया गया है। बनावटी पट्टे में दर्शित भूमि पर विपक्षी संख्या 2 का ना तो कभी कब्जा रहा है। उक्त पट्टा यदि ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी भी किया गया है तो विधि विरूद्ध व आंवटन नियमों के पालना के बगैर जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टे में वर्णित भूखण्ड पर पट्टा जारी दिनांक से, पूर्व व वर्तमान में विपक्षी संख्या 2 का कभी कब्जा नही रहा है। तथाकथित पट्टे एवं पट्टे के साथ संलग्न नक्शे में जमीन के पडोस दर्शाये गये है, वह वर्तमान में कहीं अस्तित्व में नहीं है और ना ही पूर्व में अस्तित्व में रहे हैं एवं तथाकथित पट्टे में कहीं पर भी प्रस्ताव संख्या, दिनांक एवं आदेश संख्या एवं दिनांक

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

अंकित नहीं है। उक्त कॉलम खाली है। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना आपत्ति नोटिस आम सूचना व अडोस पडौस के लोगों को आपत्ति नोटिस दिये बगैर ही उक्त विवादित पट्टा विपक्षी संख्या 1 ने नियम 157 (1) राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अधीन पुराने घर पर कब्जा बताकर खाली पडी जमीन व आम रास्ते का 300 वर्गगज का अवैध पट्टा जारी कर दिया गया। वार्ड पंचों की सहमति एवं कोरम के अभाव में अपने पद का दुरूपयोग करते हुये विपक्षी संख्या 1 के द्वारा विपक्षी संख्या 2 के हक में कोई निर्माण स्वीकृति भी जारी नही की गई। जिस पर सचिव एवं अन्य वार्ड सदस्यों के कही पर भी हस्ताक्षर नहीं है, ना ही कोई रसीद है जिससे विपक्षी संख्या 2 निगरानीकर्ता के मकान के गेट सामने आम रास्ता की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में सैकड़ों पट्टे फर्जी तैयार किये गये है जिनकी अपीलें/निगरानियां विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है एवं पट्टे के विरूद्ध रिपोर्ट न्यायालय/पुलिस में पेश की गई है। चूंकि उक्त पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया है उक्त पट्टा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के अनुसार अनुसूची–5 नियम 271 के तहत आबादी भूमि पट्टाबहीं (विक्रय विलेखो का रजिस्टर) में कहीं अंकित नहीं है, ना ही ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड है, इस कारण ग्राम पंचायतो के नियमो के विरूद्ध है। यदि विक्रय विलेखों का रजिस्ट्रर में गैर निगरानीकार संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा दर्ज होता तो पट्टा पर आदेश संख्या, प्रस्ताव संख्या एवं आज्ञा संख्या एवं दिनांक अंकित होता, परन्तु पट्टे पर कही पर भी आदेश संख्या, प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है, उक्त कॉलम रिक्त हैं, उक्त विवादित भूमि वर्तमान में पूर्ण रूप से खाली पडी भूमि है जिस पर पुराना निर्माण व अवैध तरीके से पट्टा जारी कर दिया। उक्त विवादित पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में 50 वर्षो से अधिक से पुराने घर पर कब्जा व सनिर्मित बताकर अवैध रुप से खाली पड़ी आबादी भूमि व आम रास्ता का, जो गैर निगरानीकार की स्वयं की उम्र ही लगभग 40 वर्ष है तथा उक्त गैर निगरानीकार उक्त गांव में शादी करके आयी है जिसको उक्त ग्राम में रहते हुये लगभग 10–15 वर्ष हुये है उसके हक में अवैध तथा वास्तविक तथ्य व रिपोर्ट छीपाकर खाली पडी आबादी भूमि व आम रास्ता का पट्टा जारी कर सरकारी राजस्व का नुकसान कारित किया है। बिना सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही उक्त खाली पडी आबादी भूमि व आम रास्ता भूमि का अवैध पट्टा जारी किया गया। गैर निगरानीकार पट्टे की आड में प्रार्थी/निगरानीकर्ता के कब्जेशुदा स्वामित्व की आबादी, आवासीय भूमि को हडप करने के उद्देश्य से मिथ्या साक्ष्य के रूप में उपयोग ले रही है, जबकि प्रार्थी अपनी स्वामित्व की कब्जाशुदा आवासीय मकान पर काफी वर्षो से निवास करते आ रहा है तथा विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। तत्कालीन सरपंच द्वारा बिना मौका देखे गैर निगरानीकार के पक्ष में दिनांक 06.03.2017 को अपने पद का दुरूपयोग करते हुए पट्टा जारी कर दिया। निगरानीकर्ता व गैर निगरानकर्ता संख्या 2 के मध्य न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक में एक सिविल विवाद लालाराम बनाम प्रेम देवी व अन्य के नाम से विचाराधीन है जिसमें प्रेम देवी ने अपने जवाब में तथा जवाब में उक्त आम रास्ता भूमि का का पट्टा ने का कथन किया है जिस पर निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत काचरोदा में उक्त पट्टा की प्रति व मिसल प्राप्त करने बाबत प्रार्थना पत्र करने पर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने दिनांक 12.09.2024 को उप पंजीयक सांभरलेक जयपुर से उक्त पट्टा की प्रति प्राप्त की गई जो दिनांक 12.09.2024 से अन्दर मियाद है जिसके पश्चात उक्त निगरानी न्यायालय के समक्ष अन्दर मियाद पेश की।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

अधीनस्थ ग्राम पंचायत का जारी पट्टा आदेश खिलाफ कानूनी व रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्तनीय है। प्रश्नगत पट्टा अधीनस्थ ग्राम पंचायत गैर कानूनी और against principle of equity and justice होने एवं पंचायत द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाने के कारण निरस्तनीय है। प्रश्नगत पट्टा अधिनस्थ ग्राम पंचायत आर्बीट्री एण्ड कॉन्ट्रेरी टू लॉ होने के कारण निरस्तनीय है। अतः ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा जारी प्रश्नतगत पट्टा संख्या 69 दिनांक 06.03.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष वाद निगरानीकर्ता के द्वारा किस तारीख को पेश किया गया। प्रतिवादी के द्वारा जवाब किस तारीख को पेश किया गया, जानकारी किस तारीख को हुई, का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है जबकि निगरानीकर्ता को पट्टा की जानकारी पूर्व से रही है तथा गैरनिगरानीकर्ता उक्त भूखण्ड पर पूर्व से काबिज है तथा काबिज कब्जे के आधार पर पट्टा सही जारी किया गया है। जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को पूर्व से रही है तथा निगरानीकर्ता किस दिनांक से किस दिनांक तक की अवधि को क्षमा करवाना चाहता है, का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। निगरानीकर्ता ने वाद सिविल न्यायालय के स्थगन प्रार्थना पत्र में दिनांक 22/1/2024 को प्रेमदेवी की ओर से अधिवक्ता ने दिनांक 23/1/2024 को जवाब पेश कर जवाब की प्रति निगरानीकर्ता को दिनांक 23/1/2024 को ही उपलब्ध करवा दी गई थी। उक्त तथ्यों के अनुसरण में दिनांक 23/1/2024 को निगरानीकर्ता को पट्टों की विधिवत जानकारी जवाब से हो चुकी थी तथा निगरानीकर्ता ने दिनांक 23/1/2024 से निर्धारित अवधि में भी निगरानी पेश नहीं की है तथा ना ही कोई स्पष्ट व समुचित कारण प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किये हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टा सं0 69 दिनांक 6/3/2017 को जारी कर उसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 1/9/2017 को करवाया गया जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को पट्टा जारी किये जाने की दिनांक 6/3/2017 से रही है तथा उक्त तथ्यों को छिपाकर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी 7 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की है। जिसका कोई समुचित स्पष्टीकरण उल्लेख नहीं किया है।

निगरानीधीन पट्टा संख्या 69 ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा दिनांक 06.03.2017 को गैरनिगरानीकार संख्या 2 के हक में विधि सम्मत तरीके से जारीशुदा है जिसका विधिक प्रावधानों की अनुपालना में उपपंजीयक सांभर में दिनांक 01.09.2017 को पंजीयन किया गया तथा राजकीय शुल्क जमा कराने के उपरान्त पट्टा जारी किया गया है। पट्टा संख्या 69 राजकीय स्तर पर पंजीबद्ध दस्तावेज है। जिसमें किसी प्रकार का विधिक दोष नहीं है। अतः निगरानीधीन पट्टा संख्या 69 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में अंकित नियमों की पालना में जारी होने से तथा उक्त पट्टा एक पंजीबद्ध वैध दस्तावेज होने के कारण निगरानीकार की निगरानी खारिज योग्य है।

उक्त जवाब के प्रत्युत्तर में सुयोग्य अधिवक्ता निगरानीकार ने तथ्य दिया कि निगरानीकर्ता ने पट्टा की प्रति प्राप्त करने का बार बार निवेदन किया लेकिन प्रति उपलब्ध नही कराई गई फिर निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत काचरोदा में सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर पट्टा व पत्रावली की नकल प्राप्त करना चाहा तो ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा दिनांक 16.08.2024 को सूचना का अधिकार नियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध नही करवाई गयी। ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा निगरानीकर्ता को मौखिक सूचना दिनांक 10.09.2024 को दी गई कि उक्त प्रकरण में वांछित पट्टों का सब

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

रजिस्ट्रार सांभर में पंजीयन है वहाँ से सूचना प्राप्त कर लेवे। इसके बाद दिनाँक 12.09.2024 को सब–रजिस्ट्रार सांभरलेक से केवल पट्टा की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष अन्दर मियाद दिनाँक 07.10.2024 को निगरानी पेश की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत निगरानी ग्राम पंचायत काचरोदा, पंचायत समिति दूदू हाल पंचायत समिति सांभरलेक तहसील फुलेरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 69 दिनांक 06.03.2017 के विरुद्ध विचाराधीन है। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर निगरानीकार द्वारा निगरानी 07 वर्ष पश्चात पेश की गई। निगरानीकार ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे निगरानी को असामान्य विलम्ब से प्रस्तुत करने हेतु कोई स्पष्ट संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है तथा पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाया है जिससे निगरानी प्रस्तुतीकरण में कारित विलम्ब युक्तियुक्त सिद्ध हो।

निगरानीकार द्वारा निगरानी के संलग्न पट्टा संख्या 69 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157(1) की पालना में पट्टा संख्या 69 दिनांक 06.03.2017 को गैर निगरानीकार संख्या 2 प्रेम देवी कुमावत पत्नी श्री रामेश्वर लाल कुमावत के नाम जारी किया गया है। उक्त पट्टे में ग्राम पंचायत काचरोदा के संकल्प संख्या 24 दिनांक 06.03.2017 की अनुपालना में जारी होने का अंकन किया गया है, जिसमें सरपंच एवं सचिव में हस्ताक्षर हैं। अतः निगरानीधीन पट्टा पंचायती राज अधिनियम के नियम 167(1)व(2) की पालना में निष्पादित किया गया है।

निगरानीधीन पट्टा संख्या 69 बहक प्रेम देवी उपपंजीयक कार्यालय सांभरलेक के पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 601 में दिनांक 01.09.2017 को पंजीबद्ध करवाया गया जिस पर सचिव एवं सरपंच, ग्राम पंचायत काचरोदा के हस्ताक्षर हैं। अतः उक्त तथ्य के आलोक में निगरानीधीन पट्टा पंचायती राज नियम में विनिर्दिष्ट प्रावधानों एवं नियमों की अनुपालना में जारी होना सिद्ध होता है जिसमें कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। यदि गैरनिगरानीकार संख्या 2 फर्जी पट्टाधारक है तो इस तथ्य को सिद्ध करने का भार निगरानीकार पर है, जिसमें निगरानीकार असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टा संख्या 69 दिनांक 06.03.2017 विधि अनुरुप निष्पादित होने के कारण इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 गुणावगुण पर साबित नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर
जयपुर